संख्या-14-2025-1384-57-1099-12-2022

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2025

विषय:- **कैलास मानसरोवर यात्रा भवन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के संचालन के संबंध में**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-59/ध0का0वि0नि0/कै0मा0या0/2025-26, दिनांक 06.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कैलास मानसरोवर यात्रा भवन, इन्दिरापुरम गाजियाबाद के संचालन हेतु वहां लगे उपकरणों को क्रियाशील किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अवशेष धनराशि रू0 36,79,102.00 (रू०-छत्तीस लाख उन्यासी हजार एक सौ दो मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि कैलास मानसरोवर यात्रा भवन, इन्दिरापुरम गाजियाबाद के संचालन हेतु वहां लगे उपकरणों को क्रियाशील किये जाने हेतु शासनादेश सं०-/973703/2025/12-2025-57-1099-12-2022 दिनांक-26.05.2025 द्वारा कुल आगणित धनराशि रू0 7,358,205.22 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में पूर्णांकित धनराशि रू0 3679102.00/- (रूपये छत्तीस लाख उनासी हजार एक सौ दो मात्र) अवमुक्त किया गया है।

3- निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कैलास मानसरोवर भवन संचालन हेतु वहां लगे उपकरणों को क्रियाशील किये जाने हेतु कुल आगणित धनराशि रू0 73,58,205.22 के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 36.79 लाख (रूपये छत्तीस लाख उनासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाये, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक पूर्णरूपेण कर लिया जाए। यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित कर दिया जाए।

(4) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की जा रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार, वाराणसी/लखनऊ से किया जा सकेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 36,79,000 (रुपये छत्तीस लाख उनासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-084, लेखा शीर्षक-2250001010500 कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद के संचालन हेतु मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या E-5-20-X-2025-26, दिनांक: 13-6-2025** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या-14-2025-1384-57-1099-12-2022, तद् दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/गाजियाबाद।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0, इकाई गाजियाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ/गाजियाबाद।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।